भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2911
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों की सामाजिक संपरीक्षा

†2911 श्री आर. के. चौधरीः
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर मोहनलालगंज में ग्राम पंचायतों के लिए सत्ता और संसाधनों का प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों में कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संपरीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर मोहनलालगंज में पंचायतों को आवंटित धनराशि का स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए कितना उपयोग किया जा रहा है और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के कामकाज में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर मोहनलालगंज में पंचायतों में जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नियमित सामाजिक संपरीक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;

(च) क्या पंचायती राज कामकाज से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मोहनलालगंज के निवासियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं; और

(छ) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस लागू करने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसका जिलावार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार"

होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तो के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, ग्राम पंचायतों को शक्ति और संसाधनों का प्रभावी विकेंद्रीकरण संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते है, की सीमा पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मोहनलालगंज सहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में, 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के बाद महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया ताकि अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित सभी 29 विषयों पर कार्य करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जा सके।

ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं से वित्तीय सहायता मिलती है। वे स्वतंत्र रूप से अपनी 'ग्राम पंचायत विकास योजना' (जीपीडीपी) तैयार करते हैं, जिसे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और तत्पश्चात संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा इसे लागू किया जाता है।

(ख) पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) की सहायता से पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के साथ किए गए कार्यों/गतिविधियों के सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सामाजिक संपरीक्षा दिशानिर्देश दस्तावेज़ 22 जून, 2021 को तत्कालीन माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी किया गया था और सामाजिक संपरीक्षा के संचालन में आवश्यक उपाय करने के लिए सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था। इस संबंध में, किसी राज्य का जिला-वार ब्यौरा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मोहनलालगंज सहित राज्य की ग्राम पंचायतों में, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 70 प्रतिशत राशि आवंटित की जाती है और विभिन्न योजनाओं के तहत धन आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्थानीय विकास पहलों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। निधि उपयोग की प्रभावशीलता ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन, योजना दक्षता और कार्यान्वयन क्षमता जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र:

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल- जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सभी वित्तीय लेनदेन और ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।

सामाजिक संपरीक्षा- नियमित सामाजिक संपरीक्षा आयोजित की जाती है, जिससे स्थानीय समुदायों को योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और सत्यापन करने की अनुमति मिलती है।

सार्वजनिक भागीदारी-ग्राम सभाएँ परियोजनाओं को मंजूरी देने और धन के उपयोग की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ऑडिट- ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, स्वतंत्र एजेंसियां उचित फंड उपयोग सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑडिट करती हैं।

ई-ग्राम स्वराज- पीएफएमएस इंटरफ़ेस- लीकेज को रोकने के लिए, पीएफएमएस के माध्यम से धनराशि सीधे विक्रेताओं के खातों में स्थानांतरित की जाती है।

(घ) पंचायती राज संस्थाओ के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार की जांच करने तथा इनके समग्र रूपांतरण के लिए, मंत्रालय ने ई-पंचायतों हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) को लागू किया है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो में लागू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। योजना के तहत, मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर और उत्तर पूर्व राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का संयोजन, के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया और बाद में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित राज्यों, जिला और ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहा है और पंचायतों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पंचायत संसाधन केंद्रों के रूप में संस्थागत तंत्र की स्थापना कर रहा है।

पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन- 'ऑडिटऑनलाइन' विकसित किया गया है। ऑडिटऑनलाइन पोर्टल, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया, केंद्रीय वित्त आयोग के धन के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करता है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के ऑडिट की जिलेवार स्थिति **अनुबंध- I** के रूप में संलग्न की गई है |

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोहनलालगंज सहित पंचायतों में नियमित सामाजिक संपरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पंचायतों में सामाजिक संपरीक्षा का विस्तार (मोहनलालगंज सहित):

मनरेगा के तहत अनिवार्य सामाजिक ऑडिट: उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट सोसाइटी (UPSAS) मोहनलालगंज और अन्य पंचायतों में फंड के उपयोग की जांच करने के लिए ये ऑडिट आयोजित करती है।

ई-ग्राम स्वराज और सार्वजनिक पारदर्शिता: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी), वित्तीय लेनदेन और कार्य प्रगति रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे जनता को व्यय की जांच करने की अनुमति मिलती है।

(च) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायतों में धन के उपयोग, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायती राज कामकाज से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मोहनलालगंज में कई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं।

मोहनलालगंज के निवासियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का विवरण:

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और ट्रैकिंग की अनुमति देता है।

जिला और ब्लॉक-स्तरीय पंचायती राज कार्यालय: धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें लखनऊ के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) को सूचित की जा सकती हैं।

सामाजिक संपरीक्षा समितियाँ सार्वजनिक सुनवाई करती हैं जहाँ ग्रामीण पंचायतों में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में चिंताएँ उठा सकते हैं।

जनसुनवाई (सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली): उत्तर प्रदेश जनसुनवाई (आईजीआरएस) पोर्टल निवासियों को ग्राम पंचायत के कामकाज से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है।

लोकायुक्त और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी): यदि भ्रष्टाचार या वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह है, तो निवासी जांच के लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत, निवासी किसी भी कुप्रबंधन को उजागर करने के लिए पंचायत बजट, विकास परियोजनाओं और वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया पहल के तहत मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू किया है, जिससे 2.55 लाख पंचायतों में आंतरिक प्रक्रियाएं स्वचालित हो गई हैं, जिससे 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और 10 लाख पदाधिकारियों को लाभ हुआ है। इससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(छ) डिजिटल इंडिया पहल के तहत, मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू किया है, जिससे 2.55 लाख पंचायतों में आंतरिक प्रक्रियाएं स्वचालित हो गई हैं, जिससे 30 लाख निर्वाचित सदस्यों और 10 लाख पदाधिकारियों को लाभ हुआ है। इससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ई-पंचायत एमएमपी के हिस्से के रूप में विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ईग्रामस्वराज का एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध धन प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी कम होती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अपलोड कीं, और eई-ग्रामस्वराज -पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से ₹55,000 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में eGramSwaraj को अपनाने की जिलेवार जानकारी **अनुबंध-III** में दी गई है।

****

अनुबंध- I

दिनांक 18-03-2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †2911 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा की जिलेवार स्थिति

जिला पंचायत	पंचायतों की संख्या	पंचायतों की संख्या जिनकी संपरीक्षा पूर्ण हो चुकी है (ब्लॉक पंचायत और समकक्ष)	ग्राम पंचायत एवं समकक्ष जिनकी संपरीक्षा पूर्ण हो चुकी है (% में)
अहमदनगर	1323	715	54.00%
अकोला	535	371	69.30%
अमरावती	841	720	85.60%
औरंगाबाद	871	690	79.20%
बीड	1034	810	78.30%
भंडारा	541	537	99.30%
बुलढाना	870	580	66.70%
चंद्रपुर	825	661	80.10%
धुले	558	345	61.80%
गडचिरोली	458	442	96.50%
गोंदिया	548	483	88.10%
हिंगोली	563	99	17.60%
जलगांव	1159	438	37.80%
जलना	779	405	52.00%
कोल्हापुर	1025	705	68.80%
लातूर	786	415	52.80%
नागपुर	764	616	80.60%
नांदेड़	1310	639	48.80%
नंदुरबार	637	268	42.10%
नासिक	1388	832	59.90%
उस्मानाबाद	622	322	51.80%
पालघर	473	269	56.90%
परभनी	704	328	46.60%
पुणे	1386	860	62.00%
रायगढ़	811	337	41.60%
रत्नागिरि	847	651	76.90%
सांगली	696	443	63.60%
सतारा	1495	772	51.60%
सिंधुदुर्ग	432	357	82.60%

सोलापुर	1025	567	55.30%
ठाणे	431	287	66.60%
वर्धा	521	483	92.70%
वाशिम	491	187	38.10%
यवतमाल	1201	965	80.30%
कुल	27950	17599	63.00%

—

अनुबंध- II

दिनांक 18-03-2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †2911 के भाग (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज का राज्यवार अंगीकरण

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्र म पंचायतों की कुल संख्या ए वं समकक्ष	ग्र म पंचायत बोर्ड पर	ग्र म पंचायतें और समकक्ष ऑनलाइन भुगतान के साथ	ब्लॉ क पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य	ब्लॉ क पंचायत बोर्ड पर	ऑनलाइन भुगतान के साथब्लॉ क पंचायतें	जि ला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	जि ला पंचायत शामि ल	ऑनलाइन भुगतान वाली पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	असम	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	छत्तीसगढ	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14599	13890	248	248	248	33	33	33
8	हरयाणा	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14

क्र.सं	राज्य का नाम	ग्र म पंचायतों की कुल संख्या ए वं समकक्ष	ग्र म पंचायत बोर्ड पर	ग्र म पंचायतें और समकक्ष ऑनलाइन भुगतान के साथ	ब्लॉ क पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	ब्लॉ क पंचायत बोर्ड पर	ऑनलाइन भुगतान के साथब्लॉ क पंचायतें	जि ला पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	जि ला पंचायत शामि ल	ऑनलाइन भुगतान वाली पंचायतें
13	मध्यप्रदेश	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	123	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**263708**	**251928**	**242864**	**8690**	**6402**	**6135**	**652**	**642**	**612**

अनुबंध- III

दिनांक 18-03-2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †2911 के भाग (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य **में पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज का राज्यवार अंगीकरण**

जिला पंचायत एवं समकक्ष	**ग्राम पंचायत एवं समकक्ष**	**ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड (ईजीएस - पीएफएमएस)**
अहमदनगर	1323	1323
अकोला	535	535
अमरावती	841	841
औरंगाबाद	870	870
बीड	1034	1034
भंडारा	541	541
बुलढाना	870	870
चंद्रपुर	825	825
धुले	557	557
गडचिरोली	458	458
गोंदिया	548	548
हिंगोली	562	562
जलगांव	1160	1157
जलना	774	774
कोल्हापुर	1025	1025
लातूर	786	785
नागपुर	764	764
नांदेड़	1309	1309
नंदुरबार	638	636
नासिक	1387	1387
उस्मानाबाद	622	622
पालघर	472	472
परभनी	704	704
पुणे	1384	1383
रायगढ़	811	809
रत्नागिरि	844	843
सांगली	696	696
सतारा	1490	1485
सिंधुदुर्ग	430	430
सोलापुर	1016	1015
ठाणे	431	431
वर्धा	519	519

वाशिम	491	491
यवतमाल	1201	1201
कुल	**27918**	**27902**